कार्यालय प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

(NAAC द्वारा B++ ग्रेड से प्रत्यायित संस्था)

E-mail: hegpgckhr@mp.gov.in **Phone No:** +91-7282-241562

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

E-mail: hegpgckhr@mp.gov.in **Phone No:** +91-7282-241562

क्र. 2861/निविदा/ग्रंथालय/2022 खरगोन, दिनांक:29.09.2022

<u>स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु निविदा विज्ञप्ति</u>

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के निर्देशानुसार निःशुल्क स्टेशनरी का वितरण किया जाना है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपने भावपत्र निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भर कर निविदा को दिनांक 19.10.2022 तक प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.) को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें।

निविदा फॉर्म, अमानत राशि तथा नियम एवं शर्ते संबंधित जानकारी उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट http://govtpgcollegekhargone.org/tender पर देखी जा सकती हैं।

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन (म.प्र.)

प्राचार्य
शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)
(NAAC द्वारा B++ ग्रेड से प्रत्यायित संस्था)
E-mail: hegpgckhr@mp.gov.in **Phone No:** +91-7282-241562

अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण योजना हेतु स्टेशनरी क्रय का निविदा फार्म

फर्म का नाम एवं पता ....

....

मो.नं. .... ई-मेल ....

जीएसटी नंबर ....

सामग्री का विवरण

क्र.	सामग्री का नाम	भाव प्रति नग बगैर जी.एस.टी.	जी.एस.टी.		जी.एस.टी. सहित कुल दर
			केन्द्रीय जी.एस.टी.	राज्य स्तरीय जी.एस.टी.	
1	A4 साइज सिंगल लाइन रूल्ड नोटबुक 140 पृष्ठ 58 GSM				
2	A4 साइज सिंगल लाइन रूल्ड नोटबुक 172 पृष्ठ 58 GSM				
3	A4 साइज सिंगल लाइन रूल्ड नोटबुक 240 पृष्ठ 58 GSM				
4	डाक्यूमेंट फाईल फोल्डर (20 पॉकेट) (अधिकतम मूल्य रू 100 से कम)				
5	बालपेन (अधि. मूल्य रू 10 से कम)				
6	प्लास्टिक स्केल 12 इंच (अधिकतम मूल्य रू 20 से कम)				
7	डार्क HB पेंसिल (10 का पैक)				

फर्म प्रभारी के हस्ताक्षर:- ....

फर्म का नाम:- ....

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर (अग्रणी) महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)
(NAAC द्वारा B++ ग्रेड से प्रत्यायित संस्था)
E-mail: hegpgckhr@mp.gov.in Phone No: +91-7282-241562

अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टेशनरी वितरण योजना हेतु निविदा की नियम एवं शर्तो का सहमति पत्र

1. एफ.ओ.आर.- प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन रहेगा।
2. सामग्री आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर प्रदाय करनी होगी। अन्यथा क्रयादेश को निरस्त माना जाकर अमानत राशि को राजसात करते हुए अगले क्रम की फर्म को क्रय आदेश प्रदान कर दिया जाएगा।
3. क्रय समिति द्वारा उसी फर्म की दर एवं सामग्री स्वीकृत की जाएगी, जो फर्म उच्च गुणवत्ता की सामग्री न्युनतम दर प्रदाय करेगी।
4. प्राप्त सामग्री के देयक का भुगतान शासन द्वारा बजट उपलब्ध होने पर ही होगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा सभी सामग्रियों का नमूना एक बडे लिफाफे में रखना आवश्यक है, जो वापस नही की जाएगी। निविदा का लिफाफा बडे लिफाफे के ऊपर टेप से चस्पा करें। लिफाफे पर ''**एस.सी./एस.टी. संवर्ग की स्टेशनरी हेतु निविदा**'' अवश्य रूप से लिखे।
6. नमूने की सामग्री अप्राप्त होने की दशा में निविदा फार्म पर विचार नही किया जाएगा।
7. निविदा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामग्री की दर अंको/शब्दो में बिना काट छाँट के स्पष्ट लिखें।
8. निविदा फार्म के साथ रूपये 26000/- (अक्षरी छब्बीस हजार रूपये मात्र) की राशि प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन के पक्ष में खाता क्रमांक **'32345861370'** IFSC: **SBIN0030027** में ऑनलाईन जमा करें एवं इसकी रसीद निविदा फार्म के साथ संलग्न करें। बिना रसीद के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त राशि में रूपये 1000/- (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र) निविदा फार्म हेतु लिया जाएगा एवं सुरक्षा निधि के रूप में जमा रूपये 25000/- (अक्षरी पच्चीस हजार रूपये मात्र) की राशि वापसी योग्य रहेगी।
9. निविदाकर्ता के फर्म का वाणिज्य विभाग (**GST**) का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकर्ता फर्म किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ब्लेक लिस्टेड नहीं है, इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में महाविद्यालय द्वारा निविदाकर्ता की धरोहर राशि राजसात की जायेगी।
12. निविदाएँ दिनांक 20.10.2022 को सायं 4 बजे प्राचार्य कक्ष में खोली जाएगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। उक्त समय यदि निविदाकर्ता उपस्थित नही होता

है, तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की क्रय समिति द्वारा निविदा खोल ली जायेगी, जिसकी पृथक से कोई सूचना महाविद्यालय द्वारा नहीं दी जाएगी।

13. निविदा की शर्ते पूर्ण न करने एवं प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीनता होने पर संबंधित फर्म को निविदा प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।
14. फर्म द्वारा निविदा पर अंकित सामग्री पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं छापा जाएगा।
15. सामग्री खराब होने, क्षतिग्रस्त होने पर रिपेयर/बदलकर देना होगा।
16. जी.एस.टी. (केन्द्र+राज्य शासन) संबंधी शासन के कर प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. क्रय आदेश के पश्चात् प्रदाय की गई सामग्री नमूना अनुसार प्रदाय नहीं करने पर सम्पूर्ण सामग्री वापस लौटा दी जावेगी, जिसका समस्त व्यय संबंधित फर्म को वहन करना होगा।
18. महाविद्यालय द्वारा कोई भी पैंकिग/फॉरवर्डिग चार्जेस नहीं दिए जाएंगे।
19. परिवहन के दौरान हुई हानि के लिए फर्म जवाबदार रहेगी।
20. बिना कारण बताए निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.) रहेगा। महाविद्यालय प्राचार्य एवं क्रय समिति का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 21 तक दर्शित जानकारी से मै/हमारी फर्म सहमत है।

फर्म प्रभारी के हस्ताक्षरः- ....

फर्म का नामः- ....

मोहर